

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर  
सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिबिर

ग्राम पंचायत- मेडोल

प्रकरण संख्या:- 218/25

दिनांक:- 3/10/25

सन्मान

श्री गणेश पुत्र रामकरण  
जाली दुर्जर

नाम

सरकार जरिये तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::



प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के  
हल्का मेडोल भू. अ. नि. मेरावाड़ा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की  
रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत  
ग्राम मेडोल पो. ह. मेडोल की वर्तमान स्थायी  
जमाबन्दी के खाता संख्या 40 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को  
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये  
जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	नाम	<u>गणेश नारायण पुत्र रामकरण</u>	<u>गणेश पुत्र रामकरण</u>

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री गणेश पुत्र रामकरण दुर्जर।



उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सं० मा०)